ग्राम पंचायत भतल्ला, विकास खण्ड धर्मशाला जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176216 के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत भतल्ला, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री ओम प्रकाश	01.04.2023 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री अमित कुमार	01.04.2023 से 23.12.2023
2	श्री अजित कुमार (अतिरिक्त कार्यभार)	24.12.2023 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री सतीश कुमार	01.04.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री सुभाष चन्द	01.04.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत भतल्ला के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषों में अन्तर पाया जाना	4.46
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	27.96
3	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.66
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.01
5	7.3	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.08
6	8.1	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	4.26
7	8.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	4.0
8	8.3	खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करने बारे	2.57

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भतल्ला का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017, 01/04/2018 से 31/03/2020 व 01/04/2022 से 31/03/2023 के लिये किया गया था, इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:—

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	5	अनिर्णीत	—
2.	6	अनिर्णीत	—
3.	7	अनिर्णीत	—

4.	8	अनिर्णीत	–
5.	11	अनिर्णीत	–
6	12	अनिर्णीत	–
7	13	अनिर्णीत	–
8	14	अनिर्णीत	–

(2)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	अनिर्णीत	–
2.	5,5.1, 5.2,5.3	अनिर्णीत	–
3.	6	अनिर्णीत	–
4.	7	अनिर्णीत	–
5.	8	अनिर्णीत	–
6	9	अनिर्णीत	–
7	10	अनिर्णीत	–
8	12	अनिर्णीत	–
9	13	अनिर्णीत	–
10	14	अनिर्णीत	–
11	15	अनिर्णीत	–

(3)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	अनिर्णीत	–
2.	4क,ख	अनिर्णीत	–
3.	4.1,4.2	अनिर्णीत	–
4.	4.3	अनिर्णीत	–
5.	4.4	अनिर्णीत	–
6	5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित करने के दृष्टिगत
7	6	अनिर्णीत	–

8	7	अनिर्णीत	–
9	8	अनिर्णीत	–
10	9	अनिर्णीत	–
11	10	अनिर्णीत	–
12	11	अनिर्णीत	–
13	12	अनिर्णीत	–
14	13	अनिर्णीत	–
15	14(1) (2)	अनिर्णीत	–
16	15	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित करने के दृष्टिगत
17	16	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित करने के दृष्टिगत
18	17	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित करने के दृष्टिगत

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत भतल्ला के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.11.2024 से 19.11.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई ऑनलाईन रोकडबहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :—

वर्ष	आय	व्यय
2023—24	11/2023	05/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्कः—**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹3200/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/558 दिनांक—19.11.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/547 दिनांकः—14.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया है ।

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2023-24	688029.95	50163.00	738192.95	60115.00	678077.95

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2023-24	2860351.73	1821519.00	4681870.73	1885903.00	2795967.73

कुल योग (1+2) 678077.95+2795967.73=3474045.68

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹34,74,045.68 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** के अनुसार अन्तशेष ₹39,19,758.69 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित	का•के•सह•बैंक मेकलोडगंज	20164006132	1332578

2	एस.डी.पी	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232557	230124.86
3	एस.डी.आर.एफ	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232593	3225.18
4	जी.आर.डी.वाई	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232496	47545.04
5	वी.के.वी.एन.वाई	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232520	298641.04
6	एम.एम.जी.पी.वाई	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232584	18781
7	एस.बी.एम	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232566	135527.14
8	आर.जी.ए.वाई	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100229739	1366
9	एम.पी.लेड	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232548	202935.99
10	13वॉं वित्त	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232575	188585.84
11	13वॉं वित्त	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100229720	5124
12	14वॉं वित्त	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100248521	6807.30
13	14वॉं वित्त	एच•डी•एफ•सी•बैंक मेकलोडगंज	50100332798176	7405.37
14	15वॉंवित्त / पी.एस / जेड.पी	एच•डी•एफ•सी•बैंक मेकलोडगंज	50100370618573	1440978.93
	हस्तगत शेष (ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			133
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹3919758.69
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				**₹3474045.68**
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹3919758.69
अन्तरः–				445713.01

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4 **(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹4.46 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भतल्ला द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹4,45,713.01 का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है। उक्त अनियमितता से

सम्बन्धित आपति को गत अंकेक्षण में भी अंकेक्षण विभाग द्वारा उठाया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गयी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/549 दिनांकः–16.11.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.बी 07/2024 दिनांकः–19.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः बढ़ते अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान कर भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत भतल्ला के बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, 5वां वित्त आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20164006132 खोला गया था इसी प्रकार 15वां वित्तायोग, पी0एस0/जैड पी0 आदि शीर्षों के लिए संयुक्त खाता संख्या 50100370618573 खोला गया था जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है एवं नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/557 दिनांकः–19.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–जी.पी.बी 07/2024 दिनांकः–19.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि स्कीम वाईज खातों का अनुसंधारण दिया कर दिया जायेगा, प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ही बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 निवेश न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणवधि के दौरान ₹11,65,585 से ₹13,32,578 तक की राशि शेष थी जो पंचायत के अकुशल वित्तीय प्रबन्ध को दर्शाता है। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना सख्यां राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/557 दिनांकः 19.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या-जी.पी.बी 07/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹27.96 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/547 दिनांकः–14.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹27,95,967.73 की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	तीसरा/5वॉं वित्त	31.03.2024	661695.05
2	एस.डी.पी	31.03.2024	230124.44
3	एम.एम.ए.जी.वाई	31.03.2024	18781.00

4	एस.डी.आर.एफ	31.03.2024	3225.18
5	वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2024	290945.44
6	आर.जी.ए.वाई	31.03.2024	1366.00
7	एम.पी.लेड	31.03.2024	3809.00
8	जी.आर.डी.वाई	31.03.2024	47545.04
9	एस.बी.एम	31.03.2024	135527.14
10	13वाँ वित्त	31.03.2024	188553.84
11	14वाँ वित्त	31.03.2024	14040.67
12	15वाँ वित्त / पी.एस / जेड.पी	31.03.2024	1200354.93
		कुल जोड	**2795967.73**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। ऐसा न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

इस शेष राशि के उपयोग / व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 550 दिनांक–16.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–जी.पी.बी.07 / 2024 दिनांकः–19.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में नियमानुसार व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

7.1 सम्पति कर / गृहकर की ₹1.66 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय / अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां0 / 2024 / 547 दिनांकः–14.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर / गृहकर के रूप में ₹**1,65,650** / – की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली

हेतु शेष थी। क्योंकि अवधि 2023–24 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा न के बराबर राशि की प्राप्ति की गई थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/551 दिनांकः–18.11.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.बी.07/2024 दिनांकः–19.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा सम्पति कर मांग व संग्रह रजिस्टर को तैयार कर लिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पति कर/गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर को भी तैयार करके व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

बढ़ते पंचायत राजस्व बकाया का मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹600/- की वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनो के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण व निम्न विवरणानुसार 02 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200/400 की दर से कम राशि वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹600 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे।

क्र0सं0	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	विवाह शुल्क रजि.पृ.सं0	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	अभिषेक	07.11.23	26.12.24	शून्य	400	00	400
2	अतुल कुमार	06.02.24	15.03.24	शून्य	400	200	200
				कुल	800	200	600

उक्त न वसूली गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/551 दिनांकः–18.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत भतल्ला के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.बी.07/2024 दिनांकः–19.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जायेगी। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसकी अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके, सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.08 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/547 दिनांकः–14.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत भतल्ला द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹7750 की राशि प्राप्त की गई, परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि (₹)
1	2023—24	7750

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/551 दिनांक:—18.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत भतल्ला के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या— जी.पी.बी.07/2024 दिनांक:—19.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 15वें वित अनुदान के अंतर्गत करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹4.26 लाख के अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2023 के व्यय वाउचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹4,26,019/—का भुगतान किया गया था, परन्तु उक्त निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः—

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख
1.15वां वित	पी/1/ 19.05.2023	74,76,77/29.02.2023, 26.02.2023	पी.वी.सी पेनलिंग कार्य पंचायत घर भतल्ला वार्ड —5	299871	बजट प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति/स्वीकृति पत्र, टेंडर अभिलेख

					,तुलनात्मक विवरण ,अनुबन्ध ,अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका
2.15वां वित	पी/2/19. 05.2023	39,38/18.02.2023,	इंस्टालेशनवाटर कुलर,वाटर टैंकी बसस्टेन्ड घेरा वार्ड –8	100000	बजट प्राक्कलन ,तकनीकी स्वीकृति/स्वीकृति पत्र, टेंडर अभिलेख ,तुलनात्मक विवरण ,अनुबन्ध ,अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका
3.15वां वित	पी/3/19. 05.2023	मस्ट्रोल संख्या/06/0009909	निर्माण कार्य इंटरलॉक टाईल्स तोताराणी बससटेन्ड उपर की ओर गांव वार्ड –5	6180	बजट प्राक्कलन ,तकनीकी स्वीकृति/स्वीकृति पत्र, टेंडर अभिलेख ,तुलनात्मक विवरण ,अनुबन्ध ,अवार्ड पत्र
4.15वां वित	पी/4/19. 05.2023	मस्ट्रोल संख्या/निल/0009914	निर्माण कार्य इंटरलॉक लेईंग पाथ विजय सिंह स्पुत्र हीरा लाल घर मुख्य रास्ता की ओर वार्ड –3	19968	बजट प्राक्कलन ,तकनीकी स्वीकृति/स्वीकृति पत्र, टेंडर अभिलेख ,तुलनात्मक विवरण ,अनुबन्ध ,अवार्ड पत्र
			कुल योग	**426019**	

वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत भतल्ला से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/553 दिनांकः–18.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी0पी0बी0 07/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अभिलेखो को आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹4.00 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भतल्ला के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट–"6" पर संकलित राशि ₹3,99,871/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/554 दिनांकः–18.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.बी.07/2024 दिनांकः–19.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री को स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का पारदर्शी एवं उचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹2.57 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं

काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/548 दिनांकः-14.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹256783/- का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय -समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के चलते अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/555 दिनांकः-18.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः-जी.पी.बी.07/2024 दिनांकः-19. 11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है,उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। भविष्य में उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इन प्रकरणों को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

नोटः-उपरोक्त व्यय ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2023-24 के दौरान समस्त क्रय की गई खनन सामग्री से संबंधित है। अंकेक्षण केवल चयनित माह 05/2023 के वाउचरों का ही किया गया,जिस दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी सामग्री क्रय नहीं की गई।

9 सभा निधि में प्राप्त राशि ₹0.06/- लाख को बैंक में जमा न करवाने व सीधे खर्च करने बारेः-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियो को सम्बंधित बैंक खातो में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भतल्ला के लेखों की अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क,जुर्माना व सम्पति कर/गृहकर से वसूल की गई निम्नविवरणानुसार आय को बैंक

में जमा न करवाकर स्टेशनरी व इंटरनेट बिल/ब्रॉडबेण्ड इत्यादि के लिये सीधे खर्च कर दिया गया था। जिससे कि सरकारी कोष में जमा योग्य आय व स्वः–स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह न केवल गम्भीर वितीय अनियमितता है, बल्कि आपतिजनक भी है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/557 दिनांकः 19.11.2024 के अंर्तगत सचिव ग्राम पंचायत भतल्ला के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–जी.पी.बी.07/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा दिया गया उतर कि उक्त सीधे तौर पर किये गए खर्च की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खातें में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत यथास्थिति कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

आय का विवरणः–

वितीय वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त आय ₹	बैंक में जमा करवाई गई राशि₹	बैंक में कम जमा करवाई गई राशि ₹	विवरण
2023–24	5660	निल	5660	विवाह शुल्क, गृह कर

व्यय का विवरणः–

क्रम सख्यां	वाउचर स0/दिनांक	रोकडबही पृष्ठ सख्यां	क्रय की गई सामग्री	व्यय राशि ₹
1	पी/2/04.05.23	निल	ईंटरनेट बिल	590
2	पी/3/27.05.23	निल	स्टेशनरी	620
3	पी/5/18.07.23	निल	स्टेशनरी	1500
4	पी/11/18.07.23	निल	ब्राडबैंड बिल	1770
5	पी/24/05.01.24	निल	ब्राडबैंड बिल	590
6	पी/25/05.01.24	निल	ब्राडबैंड बिल	590
			कुल योग	**5660**

10. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹4.27 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2023 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹4,27,229/– का भुगतान किया गया था ,जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/557 दिनांकः–19.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत भतल्ला के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.बी.07/2024 दिनांकः–19.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अनियमितता के नियमों की वतर्मान समय से अनुपालना की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न हो के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "8.1 व 8.2" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को ,किसी व्यक्तिगत निमार्ण कार्य के लिये बनाई गई निर्माण समिति के सदस्यो अथवा पंचायत सदस्यो द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था ,जिसके अभाव में उस सामग्री की वास्तविक प्राप्ति व उपयोग की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/557 दिनांकः– 19.11.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत भतल्ला को अवगत

करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी.बी.07/2024 दिनांकः—19.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि विभिन्न अनियमितताओं की नियमानुसार वतर्मान समय से अनुपालना की जा रही है तथा अंकेक्षण अवधि के चयनित मास के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो से संबंधित प्रपत्र—34 को भी तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः—

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/547 दिनांकः 14.11.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी.बी.07/2024 दिनांकः—19.11.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	लेखा खाता/खाता बही	7	29 (1 से 3)
3.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
5	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी

6	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
7	अनुदान रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997	8	34
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	निर्माण कार्य रजिस्टर	……..	103
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	…….	…………

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक

रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय—समय पर स्टोर/स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/547 दिनांकः—19.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी.बी.07/2024 दिनांकः—19.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः—

14.1 रसीद बुको का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः—

रसीद बुको के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानो के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुको का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म—2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदो को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप—4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदो का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान

लेखांकित की गई आय भी रसीदो के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदो का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख—रखाव ग्राम पंचायत भतल्ला द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत भतल्ला के चयनित मास 05/2023 के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि सभा निधि व 15वां वित के व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे, जिसके अभाव में उक्त मास में किये गए भुगतानो की पुष्टि अकेंक्षण में नहीं की जा सकी।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/557 दिनांकः—19.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी.बी.07/2024 दिनांकः—19. 11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से वाउचरो पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित किये जा रहे हैं। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नही पाया गया।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः**— लेखों के रख—रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/ प्रति

839—843 05 FEB 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)130/2017—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भत्तल्ला, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/ प्रति

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.1 (क))

FINANCIAL POSITION OF GP BHATALLA FOR THE YEAR 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2023-24	688029.95	50163.00	738192.95	60115.00	678077.95

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2023-24	2860351.73	1821519.00	4681870.73	1885903.00	2795967.73

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhatalla
Development Block Dharamshala

23

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या - "6.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BHATALLA FOR THE YEAR 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	3RD/5TH SFC	2023-24	477555.05	280740.00	758295.05	96600.00	661695.05
2	SDP	2023-24	124601.44	266197.00	390798.44	160674.00	230124.44
3	MMAGY	2023-24	18281.00	500.00	18781.00	0.00	18781.00
4	SDRF	2023-24	3139.18	86.00	3225.18	0.00	3225.18
5	VKVNY	2023-24	282995.44	9928.00	292923.44	1978.00	290945.44
6	RGAY	2023-24	1330.00	36.00	1366.00	0.00	1366.00
7	MPLAD	2023-24	0.00	203203.00	203203.00	199394.00	3809.00
8	GRDY	2023-24	46279.04	1266.00	47545.04	0.00	47545.04
9	SBM	2023-24	131919.14	3608.00	135527.14	0.00	135527.14
10	13TH FC	2023-24	188553.84	0.00	188553.84	0.00	188553.84
11	14TH FC	2023-24	13759.67	336.00	14095.67	55.00	14040.67
12	15TH FC/PS/ZP	2023-24	1571937.93	287537.00	1859474.93	659120.00	1200354.93
	MGNREGA	2023-24	0.00	768082.00	768082.00	768082.00	0.00
TOTAL			2860351.73	1821519.00	4681870.73	1885903.00	2795967.73

-27- 24

Secretary Gram Panchayat Bhatalla

परिशिष्ट – 3 (पैरा संख्या - 4.1(20))

कार्यालय ग्राम पंचायत भतल्ला विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176216

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत भतल्ला के दिनांक 01.04.2023 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क्र.	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.23 को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित	का•के•सह•बैंक मेकलोडगंज	20164006132	1165585	1332578
2	एस.डी.पी	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232557	124601.44	230124.86
3	एस.डी.आर.एफ	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232593	3139.18	3225.18
4	जी.आर.डी.वाई	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232496	46279.04	47545.04
5	वी.के.वी.एन.वाई	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232520	290691.04	298641.04
6	एम.एम.जी.पी.वाई	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232584	18281.00	18781
7	एस.बी.एम	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232566	131919.14	135527.14
8	आर.जी.ए.वाई	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100229739	1330	1366
9	एम.पी.लेड	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232548	0	202935.99
10	13वाँ वित्त	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100232575	183565.84	188585.84
11	13वाँ वित्त	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100229720	4988	5124
12	14वाँ वित्त	पी•एन•बैंक डल लेक	4478000100248521	6626.30	6807.30
13	14वाँ वित्त	एच•डी•एफ•सी•बैंक मेकलोडगंज	50100332798176	7133.37	7405.37
14	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	एच•डी•एफ•सी•बैंक मेकलोडगंज	50100370618573	1801327.93	1440978.93
	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत, ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			275	133
			कुल योग	3785742.28	3919758.69

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhatalla
Development Block Dharamshala

25

परिशिष्ट–4(पैरा संख्या –"7.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत भतल्ला विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176216

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2023–24 में 761 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2023–24	127750	761	50	38050	165800	200	165650
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹165650/– है।						

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhatalla
Development Block Dharamshala

26

परिशिष्ट–5C पैरा संख्या –"7.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत भतल्ला विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176216

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2023–24	7750

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhatalla
Development Block Dharamshala

27

परिशिष्ट – 6 (पैरा संख्या – '8.2")

ग्राम पंचायत भतल्ला विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश, स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना।								
अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.15TH FC	P/1/19.05.2023	PVC Wall seat with labour fitting &carriage	74/29.02.2023	M/S Shiva Traders Tatwani Shahpur Kangra	138	790	109020	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
2.15TH FC	P/1/19.05.2023	Various Electricity Items	76/29.02.2023	M/S Shiva Traders Tatwani Shahpur Kangra			40491	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
3.15TH FC	P/1/19.05.2023	PVC False celling with channel per seat rate with all material rate	77/26.02.2023	M/S Shiva Traders Tatwani Shahpur Kangra	179	840	150360	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4.15TH FC	P/2/19.05.2023	Water tanki iron Sheet 14guage size 4X4 with paint	39/18.02.2023	M/S Shiva Traders Tatwani Shahpur Kangra	1	42100	42100	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Water tanki of water cooler Plumbing			1	8200	8200	
		Water cooler USHA 40X80 Ltr	38/18.02.2023		1	39900	39900	
		Water Cooler Structure			1	9800	9800	
						कुल योग	399871	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhatalla
Development Block Dharamshala

28

परिशिष्ट – [illegible] (पैरा संख्या – "8.3")

[ग्राम] पंचायत भतल्ला विकास खण्ड धर्मशाला हि0 प्र0 द्वारा अंकेक्षण अवधि 2023–24 के दौरान मनरेगा व सामान मद से क्रय की गईं खनन निर्माण सामग्री का ब्यौरा

Sr no	Voucher no/ Date	Name of Vendor	Head	Bill no/ Date	Matrial	Qty.	Rate	Amount
1	Nil/03/07/2024	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	40/ 28/11/22	Sand	200	47.50	9500
					Agg.	50	44.00	2200
2	Nil/30/06/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	037/ 15/11/22	Sand	200	47.50	9500
3	Nil/03/07/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	038/ 28/11/22	Sand	90	47.50	4275
			MGNREGA		Agg.	170	44.00	7480
4	Nil/ 28/06/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	063/30/01/23	Sand	100	47.50	4750
			MGNREGA		Agg.	50	44.00	2200
5	Nil/ 28/06/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	032/26/10/22	Sand	200	47.50	9500
			MGNREGA		Agg.	50	44.00	2200
6	Nil/ 03/07/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	034/15/11/22	Sand	100	47.50	4750
			MGNREGA		Agg.	200	44.00	8800
7	Nil/ 30/06/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	021/24/09/22	Sand	280	47.50	13300
			MGNREGA		Agg.	500	44.00	22000
8	Nil/ 27/06/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	004/15/11/22	Sand	100	47.50	4750
			MGNREGA		Agg.	200	44.00	8800
9	Nil/ 27/06/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	004/15/11/22	Sand	100	47.50	4750
			MGNREGA		Agg.	200	44.00	8800
10	Nil/ 27/06/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	002/15/11/22	Sand	100	47.50	4750
			MGNREGA		Agg.	200	44.00	8800
11	Nil/ 27/06/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	009/16/07/22	Sand	90	47.50	4275
			MGNREGA		Agg.	100	44.00	4400
12	Nil/ 01/08/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	061/29/01/23	Sand	200	47.50	9500
			MGNREGA		Agg.	300	44.00	13200
13	Nil/ 03/07/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	044/30/11/22	Sand	180	47.50	8550
			MGNREGA		Agg.	90	44.00	3960
14	Nil/ 03/07/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	042/30/11/22	Sand	180	47.50	8550
			MGNREGA		Agg.	350	44.00	15400
15	Nil/ 03/07/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	018/18/09/22	Sand	140	47.50	6650
			MGNREGA		Agg.	250	44.00	11000
16	Nil/ 03/07/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	017/18/09/22	Sand	60	47.50	2850
			MGNREGA		Agg.	120	44.00	5280
17	Nil/ 30/06/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	MGNREGA	059/28/01/22	Sand	70	47.50	3325
			MGNREGA		Agg.	120	44.00	5280
		(A)				5340		243325
18	P18/ 14/11/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	15th FC	099/20/09/2023	Sand	10	63.00	630
					sand crusher	25	61.50	1537.5
19	6/20/09/2023	Sansar Chand R/o Dal Leke	15th FC	095/20/06/2023	sand	60	61.50	3690
					Agg.	120	50.00	6000
					boulder	50	32.00	1600
		(B)				265		13457.5
		(A+B)				5605		256783

नोटः उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री अर्केक्षण अवधि 2023.24 के दौरान वैध ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किए बिना क्रय की गई है।

T.A./J.E. CIVIL
DEV. BLOCK D/SHALA

हस्ताक्षर

दिनांक

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhatalla
Development Block Dharamshala